न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 446–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त मोहना तहसील घाटीगॉव जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 14/अ–12/2015–16.

.....

1–शंकर कुशवाह पुत्र स्व0श्री जुगनू कुशवाह
2–ग्यासी कुशवाह पुत्र स्व0श्री जीवनलाल कुशवाह
3–सीता कुशवाह पुत्र स्व0 श्री काशीराम कुशवाह
समस्त निवासीगण कुशवाह मोहल्ला मोहना तहसील घाटीगॉव,
जिला ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री रमेश शर्मा,
निवासी ग्राम मोहना तहसील घाटीगॉव,
जिला ग्वालियर म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री पंकज जैन, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री सौरभ जैन, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2 शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 17/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार वृत्त मोहना तहसील घाटीगॉव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसील न्यायालय घाटीगॉव के समक्ष सर्वे कमांक 1276, 1277, 1278/2 व 1300/4 भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय

घाटीगॉव ने कार्यवाही प्रारंभ करते हुये उक्त भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही कर सीमांकन प्रतिवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 17–12–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण को सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 6–12–15 को किये जाने हेतु किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और न ही आवेदकगण की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना भी नहीं दी गई है तथा आवेदकगण की अनुपस्थिति में पीठ पीछे सीमांकन किया गया है।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा उक्त सीमांकन की कार्यवाही में बनाया गया मौका पंचनामा दिनांक 6–12–15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पंचनामा में मौका पंचनामा तैयार किया जो सही है, वक्त जरूरत काम आवे के बाद हस्ताक्षर किये है। उसके बाद में एक लाईन पुनः संबंधित पटवारी द्वारा अनावेदिका एवं राजेश व महेन्द्र को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से बाद में जोडी गई है कि शंकर, रामजी, कल्लू ग्यासिया, सीता व जगदीश द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया, क्योंकि आवेदकगण मौके पर उपस्थित ही नहीं थे और न ही आवेदकगण को उक्त सीमांकन की कोई जानकारी थी । इस कारण हस्ताक्षर करने से मना करने वाली बात का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(4) अनावेदिका एवं उसके परिवार वालों का उद्देश्य उक्त सीमांकन की कार्यवाही फर्जी तरीके से कराकर आवेदकगण की कृषि भूमि पर कब्जा करने का है । यदि उक्त सीमांकन की कार्यवाही को अपास्त नहीं किया जाता है तो

आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से संभव नहीं है ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को सीमांकन किये जाने के पूर्व दिनांक 2–6–2011 को विधिवत् सूचना पत्र जारी किया गया है । आवेदकगण द्वारा जिसको भूमि विकय की गई वह सीमांकन की कार्यवाही में उपस्थित हुआ है व उनके हस्ताक्षर भी है । आवेदकगण सीमांकन की कार्यवाही में मौके पर उपस्थित हुये हैं एवं हस्ताक्षर करने से मना किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही उचित होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में यही कहा गया कि तहसील न्यायालय घाटीगॉव द्वारा विधिवत् सीमांकन की कार्यवाही की गई इसलिये सीमांकन आदेश विधिवत् एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के सीमांकन प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण को दिनांक 26–11–2015 को दोपहर 12:30 बजे सीमांकन किये जाने की सूचना दी गई है, परन्तु उक्त दिनांक को सीमांकन नहीं किया जाकर सीमांकन दिनांक 6–12–2015 को किया गया है, जिसकी कोई भी सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई है, अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि सीमांकन की सूचना आवेदकगण को थी और वे सीमांकन के समय उपस्थित थे । सीमांकन पंचनामे को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने संबंधी टीप पंचनामा तैयार होने के उपरांत अंकित की गई है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक होकर संदिग्ध है, अतः उक्त सीमांकन के आधार पर पारित सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष

सहित पड़ोसी कृषकों का विधिवत् सूचना पत्र दी जाकर नये सिरे से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाये ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार वृत्त मोहना तहसील घाटीगॉव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर